



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052024-254206
CG-DL-E-16052024-254206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1901]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2024/वैशाख 26, 1946

No. 1901]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2024/VAISAKHA 26, 1946

संस्कृति मंत्रालय
(राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2024

का.आ. 1999(अ).— प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24), की धारा 2 के खंड (घ ख) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा 10 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के दिनांक 25 फरवरी, 2014 के सा.आ. 728 (अ) द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 30 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंतर्वेशित किया जायेगा, नामतः-

1	2	3
"30क.	मण्डल आयुक्त, झाँसी, उत्तर प्रदेश सरकार, झाँसी	क्षेत्राधिकार वाला राज्य (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के झाँसी परिमंडल के क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र)

30ख.	मण्डल आयुक्त, मेरठ, उत्तर प्रदेश सरकार, मेरठ	क्षेत्राधिकार वाला राज्य (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के मेरठ परिमंडल के क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र)”
------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2-50/एनएमए/2024]

प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष

नोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.आ. 728(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2014 द्वारा जारी की गई थी, और 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी, और बाद में इसे निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया:

1. सा.आ. 2314(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2015;
2. सा.आ. 2810(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2015;
3. सा.आ. 3627(अ), दिनांक 09 अक्टूबर, 2019;
4. सा.सा.नि. 768(अ), दिनांक 16 दिसंबर, 2020; और
5. सा.आ. 49(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2023

MINISTRY OF CULTURE

(National Monuments Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2024

S.O. 1999(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (db) of section 2 the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) vide S.O. 728 (E) dated 25th February, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 10th March, 2014, namely:-

1. In the said notification, in the TABLE, after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

1	2	3
“30A.	Divisional Commissioner, Jhansi, Government of Uttar Pradesh, Jhansi	State of jurisdiction (for the area under jurisdiction of Jhansi Circle of Archaeological Survey of India)
30B.	Divisional Commissioner, Meerut, Government of Uttar Pradesh, Meerut	State of jurisdiction (for the area under jurisdiction of Meerut Circle of Archaeological Survey of India)”

2. The notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No 2-50/NMA/2024]

Prof. KISHOR K BASA, Chairman

NOTE: The principal notification was issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) vide number S.O. 728 (E), dated the 25th February, 2014, and published on 10th March 2014, and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 2314(E), dated the 31st July, 2015;
2. S.O. 2810(E), dated the 13th October, 2015;
3. S.O. 3627(E), dated the 09th October, 2019;
4. G.S.R. 768(E) dated the 16th December, 2020; and
5. S.O. 49(E), dated the 29th December, 2023